

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

पत्रांक.....580.....

प्रेषक,  
अंचल अधिकारी,  
जमशेदपुर ।

सेवा में,  
विशेष पदाधिकारी,  
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति,  
जमशेदपुर ।

दिनांक.....12/....., अप्रैल 2023

विषय : Plot No.4492, Khata No. 15, Thana No. 1200, Mouza-Moharda, जमशेदपुर के भूखण्ड पर Manorama Kumari द्वारा धारित भूमि के सत्यापन के संबंध में ।

प्रसंग : आपका पत्रांक 619 दिनांक 03.03.2023 ।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातों के आधार पर जाँच कराया गया । जाँचोपरान्त उनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो विन्दुवार निम्न प्रकार है :-

1. जमाबंदी रैयत सी.एन.टी. एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत नहीं है ।
2. विषयगत भूमि सरकारी खाते की भूमि नहीं है ।
3. विषयगत भूमि किसी विभाग द्वारा अधिग्रहित या लैण्ड सिलिंग के अन्तर्गत है या नहीं ? इसकी जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।
4. जमाबंदी का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	जमाबंदी रैयत का नाम एवं मौजा	भाग-पृष्ठ
1	15	4492	3.34 Dec.	Manorama Kumari, W/o Akhilesh Kumar Mutation Case No. 563/R27/2022-23	53-50

5. खतियान की विवरणी : आवेदित खाता नं०-15 साविक सर्वे खतियान के अनुसार जगु गौड़, पिता ईश्वर गौड़ के नाम पर दर्ज है, जो सी.एन.टी. एक्ट 46 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन

12.04.23

अंचल अधिकारी  
जमशेदपुर